FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 15)

पृष्ठ संख्या.....

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान ....हरिनिवास.... वनाम ....रामेलाल....

किस्म मुकदमा ....आराजी 212 R.T.Act.... प्रकरण संख्या – ....12/2021....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/9/23	पत्रावली पेश/ वकील अभियोजन उप०/ वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 19/9/23 को पेश हो/ उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
19/9/23	पत्रावली पेश/ वकील अभियोजन उप०/ वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 10/10/23 को पेश हो/ उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
5/12/23	पत्रावली अगले पेशी हेतु पेश/ वकील अभियोजन उप०/ वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 9/1/24 को पेश हो/ उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
9/1/24	पत्रावली पेश/ वकील अभियोजन उप०/ वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 6/2/24 को पेश हो/ उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
6/2/24	पत्रावली पेश/ वकील अभियोजन उप०/ बहस सुनी गई/ विद्वान बहस सुनिकर के सन्तुलन के दायरे में रखते हुए प्रा०पत्र स्वीकार करते हुए। अभियोजन की प्रस्तुत निर्विवाद तथ्यों पर विचार किया जाता है कि अभियोजन विवादित आराजी सर्वे 106 रकबा 1.26, 2.53, 2.02, 0.51, 1.26 कित्ता 5 कुल रकबा 7.58 हैक्टेयर वाकि ग्राम ग्रेगपुरा में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें या किसी अन्य से करावें। विवादित आराजी को कहीं स्थानान्तरित नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें। न किसी अन्य से करावें। पत्रावली मौसल दुरुस्त होकर नस्ती से करदें। वास्ते तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	